

—: परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

प्रपत्र— 2 (भाग-1 परिशिष्ट)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

—: परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

<p>1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p>	<p>जनपद बागेश्वर के नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव अन्तर्गत—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय भवन 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक 3. ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर भवन का निर्माण कार्य। 4.
<p>ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1:50000 का मानचित्र, डिजिटल व गूगल मैप संलग्न है।
<p>ग) परियोजना की अनुमानित लागत।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 900 लाख लगभग।
<p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • जनपद में परिवहन अन-आवासीय कार्यालय भवन ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण वनभूमि वनपंचायत तथा सिवल योजना संयुक्त भूमि पर से किया जाना प्रस्तावित है। • परियोजना हेतु जनपद में अन्य प्रकार की कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है। • प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। • वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य दर्शाते हुए प्रपत्र 11 तथा 14 संलग्न है।
<p>ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना हेतु लागू नहीं ➤ लागू नहीं प्रमाण पत्र / प्रपत्र -29 संलग्न है।
<p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • नए सृजित स्थायी रोजगार – शून्य। • परिवहन कार्यालय, बागेश्वर में अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग प्रवर्तन आदि सहित कुल 25 पद पूर्व से ही सृजित हैं। • उक्त के अतिरिक्त परियोजना निर्माण द्वारा कार्यालय के समीप ग्रामवासियों द्वारा उनकी निजी भूमि पर दुकान, रेस्टोरेन्ट/सी0एस0सी0 सैन्टर आदि व्यवसाय बढेगे जिसमें न्यूनतम 25 स्थायी प्रकार के रोजगार पैदा होने की सम्भावना है। • अस्थायी रोजगार— परियोजना निर्माण के दौरान विभिन्न प्रयोजनों हेतु लगभग 26,000 मैन डेज

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

	भूमि	कुल
1	आरक्षित वन भूमि	0.00
2	सिविल एवं सोयम वन भूमि	0.420
3	वन पंचायत भूमि	0.320
4	नाप भूमि	0.00
5	कुल	0.740

➤ उद्देश्यवार विवरण हेतु ले-आउट प्लान/ प्रपत्र 32 संलग्न है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

कोई नहीं (शून्य)

क) परिवारों की संख्या

कोई नहीं (शून्य)

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

कोई नहीं (शून्य)

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

कोई नहीं (शून्य)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

- परियोजना[0.74 है0] हेतु लागू नहीं
- लागू नहीं प्रमाण पत्र /प्रपत्र -45 संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

निर्देशानुसार सभी प्रमाण पत्र /प्रपत्र संलग्न है।

दिनांक 13/06/2022
स्थान बागेश्वर।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(कृष्ण चन्द्र पलाड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी